संख्या-187/2025/99 के-2/22-3-2025-17(231)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाकिम सिंह पुत्र श्री रामदास, निवासी जनपद- फिरोजाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1917/प्रो0अनु0(2)-285/2025 (बैठक दिनांक 09-01-2025), दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाकिम सिंह (बंदी संख्या-17867) पुत्र श्री रामदास, जो ग्राम-राजपुर बलाई, थाना-मक्खनपुर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बंदी द्वारा दिनाक 28.02.2009 को नाजायज सम्बन्धों का विरोध किये जाने के कारण अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से अपनी साफी का फन्दा बनाकर शीलेन्द्र उर्फ सेठी आयु 20 वर्ष नामक लड़के के गले में डालकर तथा साफी खीचकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-339/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 506 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-3, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 22.11.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया उक्त के अतिरिक्त बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-464/2009 में धारा-2/3, उ0प्र0 गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-18, जनपद-आगरा द्वारा 02 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज पर विपरीत प्रभाव डालने, समाज में स्वछन्द रहना उचित नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, बाहर आने पर संज्ञेय घटना कारित कर फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनाक 28.02.2009 को नाजायज सम्बन्धों का विरोध किये जाने के कारण अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से अपनी साफी का फन्दा बनाकर शीलेन्द्र उर्फ सेठी आयु 20 वर्ष नामक लड़के के गले में डालकर तथा साफी खीचकर हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हाकिम सिंह पुत्र श्री रामदास को उ०प्र० जेल मैनुअल के प्रस्तर 180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाकिम सिंह (बंदी संख्या-17867) पुत्र श्री रामदास, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in